न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 49/2016 वाद

1. तुलसीराम पिता बाबरू मीणा, आयु वयस्क, निवासी बम्बोरा, तहसील छोटीसादड़ी।
2. रतनलाल पिता बाबरू मीणा, आयु वयस्क, निवासी बम्बोरा, तहसील छोटीसादड़ी।
3. छ्गनलाल पिता बाबरू मीणा, आयु वयस्क, निवासी बम्बोरा, तहसील छोटीसादड़ी।
4. गोपीलाल पिता बाबरू मीणा, आयु वयस्क, निवासी बम्बोरा, तहसील छोटीसादड़ी।
5. सखी पिता बाबरू मीणा, आयु वयस्क, निवासी बम्बोरा, तहसील छोटीसादड़ी।

– वादीगण

//बनाम//

1. उदा पिता बाबरू मीणा, उम्र वयस्क, निवासी नरसिंहगढ़।
2. रतन पिता बाबरू मीणा, आयु वयस्क, निवासी नरसिंहगढ़।
3. प्रतापी पुत्री बाबरू मीणा, आयु वयस्क, निवासी नरसिंहगढ़।
4. चांदी पुत्री बाबरू मीणा, आयु वयस्क, निवासी नरसिंहगढ़, तहसील निम्बाहेड़ा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा.का.अधि.

श्री बाबुलाल पाटीदार, अधिवक्ता वादीगण, उपस्थित

निर्णय दिनांक 08.07.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया वाके मौजा सगवाडिया तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 16 की आराजी नं. 415 रकबा 1.2600 हैक्टेयर जिसके पुराने आराजी नं. 216/196 रकबा 5 बीघा है जो बाबरू पिता पदमा के समय की है। इस भूमि को वाद में आगे चलकर विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जाएगा। वादीगण के परिवार का सजरा निम्नानुसार हैः–

पदमा मीणा (मृतक)

↓

बाबरू (मृतक)

↓

तुलसीराम पुत्र | रतनलाल पुत्र | छगनलाल पुत्र | गोपीलाल पुत्र | सखीबाई पुत्री | दोलीबाई बेवा (मृतक)

इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के परिवार का सजरा निम्नानुसार है–

मोती मीणा

↓

प्यारा पुत्र | पेमा पुत्र | गोपी पुत्र | बाबरू पुत्र

बाबरू पुत्र ↓

उदा पुत्र | रतन पुत्र | प्रतापी पुत्री | चांदी पुत्री | धुली बेवा (मृतक)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सजरे अनुसार वादीगण के पिता बाबरू मीणा, माता दोली बाई व दादा का नाम पदमा मीणा है। यानी बाबरू पिता पदमा था। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता का नाम भी बाबरू मीणा है, माता का नाम धुली व दादा का नाम मोती जी था। यानी की बाबरू पिता मोती, इनके तीन भाई और हैं। दोनों परिवार की अलग वंशावली व खातेदारी की आराजीयात मौजा सगवाडिया में स्थित चली आ रही है। विवादित आराजीयात वादीगण के पिता व दादा के खातेदारी व कब्जे काश्त की होने से आज भी वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। रेवेन्यु कर्मचारियों की लापरवाही से इंतकाल संख्या 394 से बाबरू पिता पदमा का विरासत से नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1, 2 व उसकी माता धुली बाई के नाम खोला गया व धुली बाई के मरने के बाद उसके वारिसान उदा, रतन, प्रतापी व चांदी के नाम खोल दिया जो आज भी रेवेन्यु रेकार्ड में नाम है परन्तु मौके पर कब्जा वादीगण का ही चला आ रहा है। विवादित आराजीयात में कानूनन प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है, न ही मौके पर कब्जा है, रेवेन्यु रेकार्ड में मात्र गलत नाम दर्ज हो जाने से वादीगण विवादित आराजीयात की अपने नाम खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण से

नाम दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये इसलिए मबजुरन वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा डिक्री फरमाया जावे तथा विवादित भूमि वादीगण के नाम खातेदारी की घोषित की जाकर वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी संवत 2070-73 ग्राम सगवाड़िया की खाता संख्या 16 प्रदर्श-1, नामान्तरकरण संख्या 744 ग्राम नृसिंहगढ़ प्रदर्श-2, नकल जमाबन्दी संवत 2053-56 ग्राम सगवाड़िया की खाता संख्या 59 प्रदर्श-3, नामान्तरकरण संख्या 394 दिनांक 26.12.1996 प्रदर्श-4, नकल जमाबन्दी संवत 2068-71 ग्राम रूपपुरा तहसील छोटीसादड़ी की खाता संख्या 32 प्रदर्श-5, नकल जमाबन्दी संवत 2069-72 ग्राम नरसिंहगढ़ की खाता संख्या 12 प्रदर्श-6, मृत्यु प्रमाण पत्र दोली बाई रावत दिनांक 22.01.2007 तथा मृत्यु प्रमाण पत्र बाबरू पिता पद्मा मीणा दिनांक 30.03.2014 की छायाप्रति प्रस्तुत की है। मौखिक साक्ष्य में रतनलाल पिता बाबरू मीणा पीडब्ल्यु-1, सुखलाल पिता नाथु मीणा पीडब्ल्यु-2, खुमा पिता बाबरू मीणा पीडब्ल्यु-3, लक्ष्मण पिता दीपा रावत पीडब्ल्यु-4, गोपीलाल पिता बाबरू मीणा पीडब्ल्यु-5, तुलसीराम पिता बाबरू मीणा पीडब्ल्यु-6 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये व बयान करवाये हैं। प्रदर्श-1 में विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श-2 नामान्तरकरण संख्या 744 धुली बाई की विरासत का इन्तकाल है जो प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज हुआ। प्रदर्श-3 में विवादित भूमि बाबरू पिता पद्मा के नाम दर्ज रेकार्ड थी। प्रदर्श-4 में विरासत से प्रतिवादी उदा, रतन पिता बाबरू व धुली बेवा बाबरू रावत के नाम दर्ज हुई। प्रदर्श-5 जो ग्राम रूपपुरा, तहसील छोटीसादड़ी की खाता संख्या 32 की नकल जमाबन्दी है, उसमें बाबरू के वारिसान तुलसीराम, रतन, छगनलाल, गोपीलाल व सखी तथा बेवा का नाम दोली बाई अंकित है। इसी प्रकार प्रदर्श-6 में प्रतिवादीगण के पिता बाबरू व उनके परिवार के अन्य खाते की भूमि अंकित है जिसमें बाबरू के पिता मोती अंकित हैं। इस प्रकार यह तो स्पष्ट है कि बाबरू पिता पद्मा वादीगण के पिता थे तथा बाबरू पिता मोती प्रतिवादीगण के पिता थे। विवादित भूमि बाबरू पिता पद्मा के नाम प्रदर्श- 3 में दर्ज रेकार्ड है जिसकी विरासत प्रदर्श-4 के आधार पर वादीगण के स्थान पर प्रतिवादीगण के नाम अंकित हो गई है जो स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना तामिल के न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित नहीं हुए हैं जिससे भी वादीगण के कथनों को बल मिलता है। मौखिक साक्ष्य में गवाहों ने भी वादीगण के कथनों की ताईद की है तथा मौके पर वादीगण का ही कब्जा बताया है। वादीगण अपना वाद साबित करने में सफल रहे हैं इसलिए वादीगण का दावा डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादीगण कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा सगवाडिया तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 16 की आराजी नं. 415 रकबा 1.2600 हैक्टेयर वादीगण की खातेदारी की घोषित की जाती है। राजस्व रेकार्ड में उक्त खाते से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम हटाया जावे तथा वादीगण संख्या 1 से 5 का नाम समान हक हिस्से सहित अंकित किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 08.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 49/2016 वाद

1. तुलसीराम पिता बाबरू मीणा, आयु वयस्क, निवासी बम्बोरा, तहसील छोटीसादड़ी।
2. रतनलाल पिता बाबरू मीणा, आयु वयस्क, निवासी बम्बोरा, तहसील छोटीसादड़ी।
3. छगनलाल पिता बाबरू मीणा, आयु वयस्क, निवासी बम्बोरा, तहसील छोटीसादड़ी।
4. गोपीलाल पिता बाबरू मीणा, आयु वयस्क, निवासी बम्बोरा, तहसील छोटीसादड़ी।
5. सखी पिता बाबरू मीणा, आयु वयस्क, निवासी बम्बोरा, तहसील छोटीसादड़ी। – वादीगण

//बनाम//

1. उदा पिता बाबरू मीणा, उम्र वयस्क, निवासी नरसिंहगढ़।
2. रतन पिता बाबरू मीणा, आयु वयस्क, निवासी नरसिंहगढ़।
3. प्रतापी पुत्री बाबरू मीणा, आयु वयस्क, निवासी नरसिंहगढ़।
4. चांदी पुत्री बाबरू मीणा, आयु वयस्क, निवासी नरसिंहगढ़, तहसील निम्बाहेड़ा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा। – प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा.का.अधि.

प्रकरण में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री बाबुलाल पाटीदार की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादीगण कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा सगवाडिया तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 16 की आराजी नं. 415 रकबा 1.2600 हैक्टेयर वादीगण की खातेदारी की घोषित की जाती है। राजस्व रेकार्ड में उक्त खाते से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम हटाया जावे तथा वादीगण संख्या 1 से 5 का नाम समान हक हिस्से सहित अंकित किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 08.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.20 18:00:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: